रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012023-243207
CG-DL-E-25012023-243207

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409]	नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 2023/माघ 5, 1944
No. 409]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 2023/MAGHA 5, 1944

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2023

एम्स की मुख्य योजना के कार्यान्वयन हेतु डीडीए द्वारा एम्स को ट्रामा सेंटर के निर्माण के लिए आबंटित किए गए 14.95 एकड़ भू-खंड का एल एंड डी ओ/आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को अंतरण।

का. आ. 423(अ).—एम्स,नई दिल्ली की मुख्य योजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य हेतु दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 22(4) के अंतर्गत ट्रामा सेंटर के निर्माण के लिए डीडीए द्वारा एम्स को आबंटित किए गए 14.95 एकड़ भू-खंड को भूमि और विकास कार्यालय/आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (केंद्र सरकार) को अंतरित किया जाता है। इस भूमि को प्राधिकरण के संकल्प सं 114 दिनांक 06.05.1961 में विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों पर दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 22(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा डीडीए के निपटान हेतु रखा गया था।

उक्त भूमि का अंतरण निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन होगा:-

1. भू-खंड पहले से ही एम्स को आबंटित किया जा चुका है,और इसलिए, नया लीज प्रीमियम वसूल नहीं किया जाएगा ।
2. यह आबंटन पहले नो प्रॉफ़िट – नो लॉस)एनपीएनएल/(सांस्थानिक दरों पर किया गया था। इसलिए वार्षिक भू-(ग्राउंड रेंट) भाटकवर्तमान एनपीएनएल/सांस्थानिक दरों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा ।

3. डीडीए के संकल्प संख्या 114 दिनांक 06.05.1961 के क्रमांक 8(vi) में निर्धारित निम्नलिखित शर्तों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा-:

क. नगरपालिका उपविधियों का उचित पालन;

ख. जिस उद्देश्य के लिए भूमि आबंटित की गई है, उसके लिए भूमि का उपयोग;

ग. निर्धारित समय के अंदर निर्माण कार्य;

घ. भूमि के किसी भी अधिकार के अंतरण से पहले अनुमति की आवश्यकता;

ङ. भूमि के अंतरण पर पचास प्रतिशत अनर्जित वृद्धि (यूईआई) को सरकार के साथ साझा करना:

च. ग्राउंड रेंट नियमित रूप से चुकाने की बाध्यता; और

छ. यदि उक्त शर्तों में से किसी को भी पूरा नहीं किया जाता है तो प्रीमियम दोबारा भरना और प्रीमियम की आंशिक या पूर्ण जब्ती करना।

4. डीडीए द्वारा एम्स को भूमि के आबंटन की तिथि से, केंद्र सरकार को उक्त जमीन के अंतरण की तिथि तक ग्राउंड रेंट के बकाया सहित सभी बकाया देय राशि का भुगतान एम्स द्वारा डीडीए को किया जाएगा।

[फा. सं. एफ. 22(5)06/आई.एल.]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2023

Transfer of land parcel measuring 14.95 Acres allotted by DDA to AIIMS for construction of Trauma center to L&DO/MoHUA for implementation of Master Plan of AIIMS

S.O. 423(E).—Delhi Development Authority hereby transfers 14.95 acres of land, allotted by DDA to AIIMS, New Delhi, for construction of Trauma Center, to Land and Development Office/MoHUA (Central Government) under Section 22(4) of the Delhi Development Act, 1957 for the purpose of implementation of the Master Plan of AIIMS, New Delhi. The land was placed at the disposal of DDA by Central Government under section 22(1) of Delhi Development Act, 1957 on terms and conditions specified in Authority Resolution no. 114 dated 06.05.1961.

The transfer of said land will be subject to the following terms and conditions: -

1. The land parcel already stands allotted to AIIMS, and therefore, no fresh lease premium shall be charged.
2. This allotment was earlier made by charging No-Profit, No-Loss (NPNL)/Institutional rates. Therefore, the Annual Ground Rent would be fixed on the basis of current NPNL/Institutional Rates.
3. The following conditions laid down at Sl. No. 8(vi) of DDA's Resolution No.114 dated 06.05.1961 will be strictly complied with: -
   a. Due observance of municipal bye-laws;
   b. Use of the land for the purpose for which it is allotted;
   c. Construction within the stipulated time;
   d. Requiring permission before transferring any interest in the land;
   e. Sharing with the Government fifty per cent of unearned increase (UEI) on transfer of land;
   f. Obligation to pay ground rent regularly; and
   g. Re-entry and forfeiture of premium in part or in full, if any, of the above conditions is not fulfilled.
4. The outstanding dues, including arrears of Ground Rent, from the date of allotment of land by DDA to AIIMS to the date of transfer of the said land to Central Government are to be paid by AIIMS to DDA.

[F. No. F. 22(5)06/IL]

D. SARKAR, Commissioner-Cum-Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.01.25 22:21:12 +05'30'